

# Jaykay Enterprises Limited

# JKE™

JKEL/CS/108-II/2021-22/

Date: August 30, 2022

The Bombay Stock Exchange Ltd.  
Corporate Relationship Department  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
**Mumbai – 400 001**  
Scrip Code: 500306  
Fax No. 022 – 22722041, 22722039, 22723132

Through: Online Filing

Dear Sir / Madam,

**Sub.: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)**

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Notice published in The Financial Express (“English”) editions and Jansatta (“Hindi”) editions both dated August 30, 2022 confirming interalia: -


1. the completion of dispatch of Notice of the 76<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2021-22;
2. Relevant date for voting through electronic means and e-voting information; and
3. Book Closure details for 76<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.

The said newspaper advertisements have also been uploaded on our corporate website, [www.jaykayenterprises.com](http://www.jaykayenterprises.com).

Kindly take the same in your record.

Thanking you,

Yours sincerely,  
**For Jaykay Enterprises Ltd.**



Abhishek Pandey  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**M. No. ACS-21958**  
Encls: As Above









**डीएमआई हाइसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 495मेंस विल्डिंग, न्यूवेन नगर, नई दिल्ली-110002  
 फोन: +91 11 41204444 F: +91 11 41204000  
 dm@dmhousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

**(नियम 8 (1) देखें) कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**  
 जबकि प्राधिकृत अधिकारों ने डीएमआई हाइसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विनॉय अस्तित्वों का प्रतिनिधित्व और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) संघर्षित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 जुलाई, 2021 को एक मॉर्ग नोटिस जारी करके श्रेणी श्री रावेश कुमार पुत्र कल्याण लाल, श्रीमती ललिता शर्मा रावेश कुमार, श्रीमती मुनी बाई पत्नी कल्याण लाल (सह-श्रेणी) को नोटिस में वर्णित राशि रु. 14, 14,499/- (रुपये चौदह लाख चौदह हजार चार सौ निर्यान्वये मात्र) दिनांक 30 जून, 2021 तक उभार नहीं देने के विपरीत की तारीख से 60 दिनों के भीतर अद्यतन व कानून के विपरीत कला गया था।  
 कृपया/सह-श्रेणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उभार नहीं की अद्यतन व कानून के विपरीत कला/सह-श्रेणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों और अन्यधारकों को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संघर्षित का कब्जा दिनांक 25 अगस्त 2022 को प्राप्त कर लिया है।  
 श्रेणी श्री रावेश कुमार से एवं उन माध्यमों को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संघर्षितों से सम्बंधित कोई संश्लेषण न करें। निम्नलिखित संघर्षितों से कब्जा गया कोई भी संश्लेषण डीएमआई हाइसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रु. 14, 14,499/- (रुपये चौदह लाख चौदह हजार चार सौ निर्यान्वये मात्र) दिनांक 30 जून, 2021 तक + अनुबंध की दर से आगे का ध्यान पूरा करना होने तक निर्यान्वये के अंतर्गत होगा।  
 कृपया/सह-श्रेणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूति अस्तित्वों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

**अचल संपत्ति का वर्णन**  
 सम्पत्ति के सभी अंग व अंग गणित होने के जिसमें मकान नं. 285, सुयं नगर, कटोरा, राजस्थान-324006, भूखत में स्थित है। सीमाएं निम्न हैं:- उत्तर में- शीर्षक विलेख के अनुसार, दक्षिण में- शीर्षक विलेख के अनुसार, पूर्व में- शीर्षक विलेख के अनुसार, पश्चिम में- शीर्षक विलेख के अनुसार  
 दिनांक: 25/08/2022, स्थान: राजस्थान

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली**  
 चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संजय मार्ग, नई दिल्ली-110001  
 का मानक वेबसाइट 23/2022  
 कानूनजीवी कोर बन्गु आवेदक  
 श्रीमान हार्शा सिंह फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य प्रतिवादी  
 सेना में, (1) हजारा खान,  
 सीमा नं.-19, अरुणा नगर, मजनु का टीला, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-110054  
 प्रतिवादी 1.3.  
 (3) राजवीर शर्मा (बिल्डर),  
 पुत्र श्री सुरजी लाल शर्मा, पता: 17 ए, रामपुरी, कलाकाजी, नई दिल्ली-110019 प्रतिवादी 4.  
 जकारिया उपरोक्त नामक आवेदक के प्राथक विकृत बसुली के लिए सहाय्यी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत आर्कषित विधान एक मुद्रणका संपत्ति किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानकार रूप से यह दरदाया जा चुका है कि आर्कषित साधारण रूप से सुभान दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विधानको के रूप में इस सूचना के माध्यम से आर्कषित दिनांक 14.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे एक ही रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय दिया जाएगा।  
 प्रारंभिक सूचना की विधि के कारण सभी मामलों को बीडियों को नोटिसिंग के माध्यम से दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए- (ए) सभी अधिका/जायद हिरकों बीडियर एसीकरण/सुनवाईकर जारनलगत करेंगे। (B) अपनी तारीख को नोटिस के लिए 'बीडिंग आईडी' और सावधानी रजिस्ट्रार/रिजिस्ट्री ऑफिसर-1/और रिजिस्ट्री ऑफिसर-11 द्वारा दिया जाएगा जोकि अपनी तारीख से एचए-दिन पहले ईमेल के अधिकारित पते पर [artg.gov.in](mailto:artg.gov.in) पर शीर्षक तारनोजिक सुचना को प्राप्त करना होगा। किसी भी प्रकार की अन्य सूचना के लिए, उपरोक्त अधिका/जायद संवेधित अधिकारियों से फोन नं. 011-23748473 पर सहायक कर सकते हैं।

भरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहदा 16 अगस्त, 2022 को दिया गया।  
 न्यायाधिकरण के आवेदन द्वारा रजिस्ट्रार

प्रतिवादी आगे की पूरताछ के लिए उपरोक्त फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते हैं।  
 श्री अमित के. एच. एच.डी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-1 नई दिल्ली फोन नंबर 011-23748473.  
 ईमेल [dt1delhi-dfs@nic.in](mailto:dt1delhi-dfs@nic.in)

**ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली**  
 चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्सियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001  
 O.A. NO. 321/2020  
**देस बैंक लिमिटेड** विरुद्ध .....जादी  
 मैंसेस जनक भेडीकोज एण्ड अन्य ...अतिवादी 1,  
 1. मैसेस जनक भेडीकोज, जयिे इसके पार्टनर्स प्रतिवादी 1, 2, 3, श्री-9, केसरी, शंकर गान्ध, विकासपुरी, डेग्रे मिलर नं. 612 के पास, नई दिल्ली-110018 (अतिवादी 1), 2. श्री रवि पाल उदार (प्रतिवादी 2) के पतनसुरी, डेग्रे मिलर नं. 612 के पास, नई दिल्ली-110018, यहां भी- ए-45, हितिय तल, खर्षाण ए, चंदर नगर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, यहां भी-मकान नं. 510, माम सौजीएण्डर, प्लॉट नं.24, सेक्टर 10, इण्डिका, नई दिल्ली-110075 (अतिवादी 2), 3. श्री रवि पाल उदार (प्रतिवादी 3) के पतनसुरी, डेग्रे मिलर नं. 612 के पास, नई दिल्ली-110018, यहां भी- ए-45, हितिय तल, खर्षाण ए, चंदर नगर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, यहां भी-मकान नं. 510, माम सौजीएण्डर, प्लॉट नं.24, सेक्टर 10, इण्डिका, नई दिल्ली-110075 (अतिवादी 3).  
 जानकमिडिओ@gmail.com (सिमावारी 3).  
 जबकि प्रारंभिक नोटिस आवेदन से आर्कषित विकृत रु. 3,86,11,202/- (रुपये तीन करोड़ तिरासी लाख ग्यारह हजार दो सौ दो मात्र) वसूली का मामला दर्ज किया है, जबकि वह अधिका/जायद कि सुनिश्चित के लिए सहाय्यी गया है कि सम्बन्धित तरीके से आप तक इसे पहुंचाना संभव नहीं है।  
 इस्तेमाल, यह उपादान सचिवता द्वारा एण्डरूडी रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 30.08.2022 को प्राप्त: 10.30 बजे आर्कषित प्रत्यक्ष उपस्थिति हेतु दिया गया है।(अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट [www.etblunjal.gov.in](http://www.etblunjal.gov.in) पर 011-23748473 पर सम्पर्क करें) सुनिश्चित के कि इस अधिका/जायद में उल्लिखित हिन को आर्कषित उपस्थिति में चूक होने पर मामले की सुनवाई एवं उरकता निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।  
 पत्र श्री मामलों की विधि के कारण, सभी मामलों को बीडियों को नोटिसिंग के माध्यम से और उद्देश्य के लिए विधान लागू-1. सभी पुनर्वसुली/कार्डियों को 'Cisso Webex' ऑनलाइन/ ऑनलाइन सहायताकरना होगा।  
 2. रजिस्ट्रार/ वसूली अधिकारी/1/श्री वसुली अधिकारी/11 द्वारा की जाने वाली सुनवाई के मामले की अगली तारीख के लिए 'मॉडिन अडॉर्डे' और 'पावर्डेड' डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल '002Rt.gov.in' पर सावधानी के सूचना प्रमुख के अनर्गल डैशबोर्ड सूची पर रखें उपलब्ध होगा।  
 3. किसी भी आवश्यकता हेतु पुनर्वसुली/कार्डियों संबंधित अधिकारियों से फोन नं. 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।  
 भरे हस्ताक्षर एवं अधिका/जायद की मुहर द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को दिया गया।  
 प्रतिवादी को कृतज्ञ के लिए उपरोक्त फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं- श्री अमित के. डार, एच. डी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-1, नई दिल्ली, फोन नं. 011-23748473, ईमेल: [dt1delhi-dfs@nic.in](mailto:dt1delhi-dfs@nic.in)  
 अधिकरण के अनुमानसुरी

**"IMPORTANT"**  
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** Union Bank of India  
 11-देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखंड-249201

**[नियम-8(1)] कब्जे की सूचना**  
 जबकि, वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 11-देहरादून रोड, ऋषिकेश-249202 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस दिनांक 08.06.2022 को जारी किया गया जिसमें 1) श्री राजीव कुमार भेंदौरा एच नं-96 तिलक रोड, ऋषिकेश-249201, जिला देहरादून, उत्तराखंड, 2) श्री राजीव कुमार भेंदौरा शास्ते मिस पाया। जनरल स्टोर जनरल नवैट सुभाष चौक, मेन बाजार, ऋषिकेश, जिला देहरादून, 3) श्रीमती राधा राणी पत्नी अशोक कुमार भेंदौरा, एच नंबर-96, तिलक रोड, ऋषिकेश-249201, जिला देहरादून और 4) श्री नीतीन चावला पुत्र श्री राम नारायण चावला, एच नंबर-97, तिलक रोड, ऋषिकेश -249201 (खता 31.03.2022 को एमपीए के रूप में वर्गीकृत)को नोटिस में उल्लिखित राशि 08.06.2022 को अनुसार रु. 12.94,674.64 -(बारह लाख चौरानवे हजार छह सौ चौहत्तर रूपए और चौसठ पैसे मात्र) और उस पर ब्याज+ अन्य प्रभार को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मुगुलान करने के लिए कहा है।  
 उधारकर्ताओं ने राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 24.08.2022 को कब्जा कर लिया है।  
 विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर्स और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर 08.06.2022 की स्थिति के अनुसार रु. 12.94,674.64 -(बारह लाख चौरानवे हजार छह सौ चौहत्तर रूपए और चौसठ पैसे मात्र) और खर्चे में आज तक उस पर ब्याज+ अन्य प्रभार लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 11-देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखंड-249201 के प्रभार के अधीन होगा।  
 प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुगाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(4) उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत आपका ध्यान आकर्षित किया है।

**अचल संपत्ति का विवरण**  
 भूमि और भवन का ईएम - 1) श्रीमती राधा राणी पत्नी अशोक कुमार भेंदौरा और 2) श्री राजीव कुमार भेंदौरा पुत्र श्री अशोक कुमार भेंदौरा संपत्ति के नाम पर तिलक मार्ग, मौजा-ऋषिकेश, परधाना परवादोल, तहसील- ऋषिकेश, जिला देहरादून में स्थित 96/4 , माफखेत्र -कुल माप 84.25 वर्ग मीटर और पहली मंजिल पर कुल कवर क्षेत्र 84.25 वर्ग मीटर और दूसरी मंजिल पर कवर क्षेत्र 53.30 वर्ग मीटर (छत के अधिका/जायद के बिना), कुल कवर क्षेत्र 137.55 वर्ग मीटर, जो निम्न रूप में धरा है।  
 उत्तर-श्री राम प्रसाद कालरा की संपत्ति और सीढ़ियाँ दक्षिण: श्री श्रीनी की संपत्ति। पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: श्री कर्म चंद और श्री किशान लाल की संपत्ति।  
 दिनांक: 24.08.2022, स्थान: ऋषिकेश, अधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**PUBLIC NOTICE**  
 (Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)  
**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR VARUN JAJOO PERSONAL GURANTOR/DEBTOR**  
**RELEVANT PARTICULARS**

1. Name of the Personal Guarantor	MR VARUN JAJOO (DIN : 00311070)
2. Address of the Personal Guarantor	W-10/14, Western Avenue, Sainik Farms, New Delhi -110062
3. Details of the order admitting the application	Siemens Financial Services Pvt. Ltd. filed an application under Section 95 of IBC, 2016 against Mr. Varun Jajoo, the Personal Guarantor of Emkay Automobile Industries Limited (CIN No.: U54300DL2003PLC107525) vide Company Application (IB) No.739 (ND)/2021 with Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench-V, New Delhi which has been admitted & the Insolvency Resolution Process stands initiated against Mr. Varun Jajoo vide Order dated 22nd August, 2022 of Hon'ble NCLT (received on 24th August, 2022)
4. Insolvency process commencement date in respect of Personal Guarantor under IBC, 2016.	22nd August, 2022
5. Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Resolution Professional	Babu Lal Gurjar Reg. No.: IBB/I/PA-003IP-N00297/2020-2021/13260
6. Address and e-mail of the Resolution professional, as registered with the Board	239, Mahadev Nagar, Ram Nagaria Road (SKIT Road), Jagalpur, Gail No. 1, Jaipur, Rajasthan - 302017 Email: <a href="mailto:cmabgurgar@gmail.com">cmabgurgar@gmail.com</a>
7. Address and e-mail to be used for submission of claim and for correspondence with the Resolution professional	239, Mahadev Nagar, Ram Nagaria Road (SKIT Road), Jagalpur, Gail No. 1, Jaipur, Rajasthan - 302017 Email: <a href="mailto:pr.varunajajoo@gmail.com">pr.varunajajoo@gmail.com</a>
8. Last date for submission of claims	20th September, 2022
9. Relevant Forms are available at:	<a href="http://www.ibbi.gov.in">www.ibbi.gov.in</a>

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-V has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of the **Mr Varun Jajoo** Personal Guarantor on 22.08.2022.  
 The Creditors of **Mr Varun Jajoo** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 20.09.2022 in Form B under Regulation 7(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors)/Regulations, 2019 to the Resolution Professional at the address mentioned against the above.  
 The Creditors shall submit their claims with proof, details of claims and personal information by way of electronic communications or through courier, speed post or registered letter.  
**Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.**

Sd/-  
**Babu Lal Gurjar**  
 Resolution Professional of Mr. Varun Jajoo  
 IBB/I/PA-003IP-N00297/2020-2021/13260  
 Date : 30.08.2022 IBB Reg. No.: IBB/I/PA-003IP-N00297/2020-2021/13260  
 Place : Jaipur AFA Certificate No.: AA3/13260/02/281122/300503 valid upto 28.11.2022

**पंजाब एण्ड स्टेट बैंक Punjab & Sind Bank**  
**जोन दिल्ली 11, बी-38/39, ई-इस्टरिड्यू एरिया, फेज 1, नारायण, नई दिल्ली-110028**  
**सुविधाखत**  
 यह शुद्धिपत्र, दिनांक 28.08.2022 को इस समयकार पत्र में छोड़े है-नीलामी जो कि 01.10.2022 को होगा है, के संदर्भ में है जिसमें कुछ तिथियों मूलतः प्रकाशित हो था है। इन्हें निम्नलिखित क्रम में है: 06.03.2019 पर 06.03.2019; क्रम सं. 3 में 03.02.2022 के स्थान पर 02.03.2022; क्रम सं. 4 में 05.06.2022 के स्थान पर 06.05.2022 तथा क्रम सं. 7 में 30.09.2021 के स्थान पर 30.11.2021 एवं क्रम सं. 5 में बकाया राशि रु.24,40,441.70 के बजाय रु.25,40,441.70 पड़ा जाए एवं क्रम सं. 7 में सम्पत्ति का विवरण "इफ्फर-3" पहली मंजिल निम्न पत्र अधिका/जायद के, केक साइड एआरआईजी प्लॉट नंबर बी 58 बी ब्लॉक खरार नंबर ए49 और 410 एस्टाटलक एंड रिहाय सार्वभौमवाद, लोनी गांवियाबाद, क्षेत्रकम 65.03 वर्गमीटर" पड़ा जाए बाकी नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।  
 दिनांक 29.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी  
 स्थान: नई दिल्ली पंजाब एण्ड स्टेट बैंक

**पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank**  
**जोन दिल्ली 11, बी-38/39, ई-इस्टरिड्यू एरिया, फेज 1, नारायण, नई दिल्ली-110028**  
**सुविधाखत**  
 यह शुद्धिपत्र, दिनांक 28.08.2022 को इस समयकार पत्र में छोड़े है-नीलामी जो कि 01.10.2022 को होगा है, के संदर्भ में है जिसमें कुछ तिथियों मूलतः प्रकाशित हो था है। इन्हें निम्नलिखित क्रम में है: 06.03.2019 पर 06.03.2019; क्रम सं. 3 में 03.02.2022 के स्थान पर 02.03.2022; क्रम सं. 4 में 05.06.2022 के स्थान पर 06.05.2022 तथा क्रम सं. 7 में 30.09.2021 के स्थान पर 30.11.2021 एवं क्रम सं. 5 में बकाया राशि रु.24,40,441.70 के बजाय रु.25,40,441.70 पड़ा जाए एवं क्रम सं. 7 में सम्पत्ति का विवरण "इफ्फर-3" पहली मंजिल निम्न पत्र अधिका/जायद के, केक साइड एआरआईजी प्लॉट नंबर बी 58 बी ब्लॉक खरार नंबर ए49 और 410 एस्टाटलक एंड रिहाय सार्वभौमवाद, लोनी गांवियाबाद, क्षेत्रकम 65.03 वर्गमीटर" पड़ा जाए बाकी नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।  
 दिनांक 29.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी  
 स्थान: नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक

**पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank**  
**जोन दिल्ली 11, बी-38/39, ई-इस्टरिड्यू एरिया, फेज 1, नारायण, नई दिल्ली-110028**  
**सुविधाखत**  
 यह शुद्धिपत्र, दिनांक 28.08.2022 को इस समयकार पत्र में छोड़े है-नीलामी जो कि 01.10.2022 को होगा है, के संदर्भ में है जिसमें कुछ तिथियों मूलतः प्रकाशित हो था है। इन्हें निम्नलिखित क्रम में है: 06.03.2019 पर 06.03.2019; क्रम सं. 3 में 03.02.2022 के स्थान पर 02.03.2022; क्रम सं. 4 में 05.06.2022 के स्थान पर 06.05.2022 तथा क्रम सं. 7 में 30.09.2021 के स्थान पर 30.11.2021 एवं क्रम सं. 5 में बकाया राशि रु.24,40,441.70 के बजाय रु.25,40,441.70 पड़ा जाए एवं क्रम सं. 7 में सम्पत्ति का विवरण "इफ्फर-3" पहली मंजिल निम्न पत्र अधिका/जायद के, केक साइड एआरआईजी प्लॉट नंबर बी 58 बी ब्लॉक खरार नंबर ए49 और 410 एस्टाटलक एंड रिहाय सार्वभौमवाद, लोनी गांवियाबाद, क्षेत्रकम 65.03 वर्गमीटर" पड़ा जाए बाकी नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।  
 दिनांक 29.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी  
 स्थान: नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** Union Bank of India  
 शाखा मुजफ्फरनगर नं.1674 सिविल लाइन्स,पी.बी. नं.40 जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन - 251 001.  
 क्षेत्रीय कार्यालय: पहली मंजिल, जीआईडीसी के सामने, बेगम बिज रोड, नेस्ट 250001  
 प्रमाण कार्यालय: 239, विधान सदन मार्ग, नरसिम पोस्ट, मुंबई 400021

**अनुसूची - 6 [नियम-8(1)] कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)**  
 जबकि, वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरनगर मुख्य शाखा के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस संख्या आरओ एम : सरकोटिया: 1462: 17 दिनांक 10.04.2017 जारी किया गया जिसमें उधारकर्ताओं/गारंटर्स /बंधकों (नाम) श्री बॉबी सिद्दीकी और श्रीमती खुशनुमा परवीन को मुजफ्फरनगर मुख्य शाखा के खाते को नोटिस में उल्लिखित राशि 1684456.51 रुपये (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार चार सौ छपन्न और इक्यानव पैसे मात्र )+ संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य शुल्क को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।  
 उधारकर्ताओं/गारंटर्स ने राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं/गारंटर्स और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 24 अगस्त 2022 को कब्जा कर लिया है।  
 विशेष रूप से उधारकर्तां 6 गारंटर्स और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर रुपये 1684456.51 (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार चार सौ छपन्न और इक्यानव पैसे मात्र ) की एक राशि और 31.03.2017 से उस पर ब्याज अन्य शुल्क के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार से अनिधा होगा।  
 प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुगाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(4) उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

**अचल संपत्ति का विवरण -**

श्री बॉबी सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद यामीन सिद्दीकी के नाम पर 42 खदरवाला, फकर शहर मस्जिद मुजफ्फरनगर के पीछे स्थित क्षेत्र - 78.16 वर्ग मीटर में आवाराथी संपत्ति।  
 सीमाएं: पूर्व- श्री राम सिंह का घर  
 पश्चिम: 05.00 फीट चौड़ा रास्ता  
 उत्तर: श्री खुशनुमा सिंह का घर  
 दक्षिण: 19.00 फीट रास्ता।  
 दिनांक: 24.08.2022, स्थान : मुजफ्फरनगर अधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**  
 20, लॉर्डो इस्टीट्यूशनल एरिया, लॉर्डो रोड, नई दिल्ली, दूरभाष : 011-24626848

**लोक कला मंच शाखा**  
 सारफेसा अधिनियम, 2002 को धारा 13 को उपधारा (2) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों का मांग सूचना

क्र.सं.	कर्जदार	क्र.सं.	जमानती
1.	चरनजीत सिंह (डी-835, न्यू फ्रेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065)	3.	अप्रवीण
2.	ज्योति साहनी (डी-835, न्यू फ्रेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065)	4.	अप्रवीण

**प्रिच महोदय/महोदया**  
 संदर्भ: इंडियन ओवरसीज बैंक, लोक कला मंच शाखा में आपकी साक्ष सुविधाएं  
 आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारा लोक कला मंच शाखा से निम्न साक्ष सुविधाएं प्राप्त की हैं। बकाए के साथ साक्ष सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

साक्ष की प्रकृति	सीमा (रु.)	ब्याज की दर (ओवरड्र्यू ब्याज सहित)	तथा रेस्ट्स	05.03.2022 तक कुल बकाया* (रु. में)
सुभूमूह हाइसिंग लोन	रु. 40,00,000/-	12% + 2% (अतिरिक्त ब्याज)	मासिक	रु. 14,70,253.21

\* ऊपर उल्लिखित तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंध दर/दरों पर भावी ब्याज देय होगा।  
 क्रम सं. 1 में सन्दर्भित कर्जदार के नाम पर बंधक द्वारा नीचे उल्लिखित आस्तियों द्वारा सुविधाओं को प्रतिभूत किया गया था।  
 आपकों आपके द्वारा निम्नलिखित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से ऊपर उल्लिखित देयताओं को समय-समय पर सुचित किया गया है।  
 2. उपरोक्त साक्ष सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	प्रतिभूति की प्रकृति (दृष्टिकर्ता/बंधक आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण
1.	1. इक्विटिवल बंधक	स्थायी : चरनजीत सिंह एवं ज्योति साहनी जगपुरा, म.नं. डीएस/2, सेक्टर 48ए, अलीगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ सीमाएं : पूर्व : मकान नं. 19, पश्चिम : 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : म.नं. 3, दक्षिण : मकान नं. 19, मा.नं. 167:29 चर्न मीटर

\* बैंक के पास सारफेसी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध आगे को कार्यवाही करने और अन्य विधिक कार्यवाही के माध्यम से भूमि तथा भवन प्रतिभूत सं. 1 के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित है।  
 3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मौलिक ऋण/ब्याज के भुगतान में उपर्युक्त कर्जदारों द्वारा की गई चूक के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.05.2021 को आपके ऋण खाता को गैर-प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को निष्क्रिय करने के लिए हमारे द्वारा आपकी बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।  
 4. न्यून कि क्रम सं. 1 में आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साक्ष सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत के उपरान्त हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अंतिमों को वापस लेते हैं तथा वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 को उपधारा (2) के अंतर्गत आपकी सुचित करने हैं तथा निदेश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर धारा 1 में वर्णित कर. 14,70,253.21 एवं उपर्युक्त तिथि से भावी ब्याज 12.00% + 2.00% की दर से ओवरड्र्यू तथा यथासमस्त मासिक रेस्ट्स सहित चक्रवृद्धि ब्याज की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पत्ति करें।  
 5. क्र.सं. 1 एवं 2 पर उपर्युक्त नामधारी बंधककर्ताओं ने कर्जदार द्वारा ली गयी साक्ष सुविधाओं के लिए पुनर्भुगतान/गारंटो हेतु शपथ-पत्र दिया है। चूँकि कर्जदारों ने पुनर्भुगतान में चूक की है अतः बंधककर्ता/जमानती गारंटो के सन्दर्भ में बैंक के बकाया कुल ऋण/साक्ष सुविधाएं रु. 14,70,253.21 तथा भावी ब्याज 12.00% + 2.00% की दर से ओवरड्र्यू तथा यथासमस्त मासिक रेस्ट्स सहित चक्रवृद्धि ब्याज की कुल राशि अदा करने के उपरदायी हैं और एतद्वारा हम आपसे इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के साठ दिनों के भीतर कथित राशि अदा करने के लिए कहा जाता है। कृपया परामर्श पर ध्यान दें कि जमानतियों का दायित्व कर्जदारों के दायित्व के साथ-साथ है।  
 6. हम क्रम सं. 1 एवं 2 के कर्जदारों को एतद्वारा पुनः सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्ज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 को उप-धारा (4) के अंतर्गत बकाया नों निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।  
 7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्ज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उपरदायी हैं।  
 8. कृपया ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साक्ष सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।  
 9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 को उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्ण लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप किसी, पट्टा या अन्य रूप से उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ जन्तव-त्याग/ स्थानान्तरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्भन निर्यातवाली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/अथवा जुर्माना का प्रावधान है।  
 10. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि पुनर्निर्माण सभ्य में खाता को निष्क्रिय नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा बैंक थारि.वै. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपका खाता-बुझकर चूककर्ता को बहिष्कृत कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, पृथक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों की शुरु करने के अतिरिक्त थारि.